राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांकः एफ 15(7)(5)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/16–17 जयपुर, दिनांक

समस्त प्रभारी अधिकारी, (वाद)
मुख्यालय।
समस्त उप निदेशक, मबावि
समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी,

विषयः– विभाग के न्यायिक प्रकरणों का लाईटस साफ्टवेयर में अपडेशन किये जाने बाबत।
सन्दर्भः– उप शासन सचिव, महोदय, मबावि का पत्र दिनांक 10.01.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं उप शासन सचिव, मबावि से प्राप्त पत्र दिनांक 10.01.2018 (प्रति संलग्न) में अंकित बिन्दु संख्या 2 से 5 की अपेक्षित कार्यवाही का इन्द्राज न्याय विभाग की वेबसाईट लाईटस पर तीन दिवस में करना सुनिश्चित करें।

अतः समस्त प्रभारी अधिकारियो को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 2 से 5 अनुसार जिन प्रकरणों में निर्णय सरकार के विपक्ष में हुआ है उन प्रकरणो में पालना/अपील की सूचना न्याय विभाग की वेबसाईट लाईटस पर निम्न प्रकार अपडेशन की कार्यवाही करावेः–

Dashboard > Pending Case Report > Decision Not Implemented में प्रदर्शित डाटा प्राप्त कर अपेक्षित कार्यवाही (निर्णीत प्रकरणो में पालना/अपील की सूचना) **Case Management > Case Decision** मे अपडेट करावे। उक्त निर्देशो का आप कठोरता से पालना करें अन्यथा विपरीत स्थिति में समस्त जिम्मेवारी आपकी मानते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जावेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

-Sd-
अति.निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

17571-573
क्रमांकः एफ 15(7)(5)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/16–17 जयपुर, दिनांक 24-1-18

प्रतिलिपि

1. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
2. उप शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
3. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (कम्प्यूटर) मुख्यालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अति.निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

अत्यावश्यक
आज ही जारी हो।

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांकः प0 12(1)म.बा.वि./2016/पार्ट–।। जयपुर, दिनांक 10-01-2018

1. आयुक्त,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
2, जल पथ, गॉधी नगर,
जयपुर–302015

2. आयुक्त,
महिला अधिकारिता,
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र,
जयपुर–302004

विषयः– लाईट्स साफ्टवेयर पर दर्ज न्यायिक प्रकरणों की सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लाईट्स साफ्टवेयर पर दर्ज न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा हेतु संयुक्त शासन सचिव, न्याय विभाग द्वारा आज दिनांक 10.01.2018 को आयोजित बैठक के दौरान संयुक्त शासन सचिव, न्याय विभाग ने महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित 1327 प्रकरणों के स्टेटमेन्ट की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को देकर निम्नांकित सूचना दिनांक 11.01.2018 को उनके समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान किये हैः–

क्र.सं	प्रकरणों की संख्या	लम्बित प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों के लम्बित रहने का कारण	अन्य विवरण
1.	अतिरिक्त महाधिवक्ता से संबंधित बकाया प्रविष्टियों, जिनको लाईट्स सॉफ्टवेयर पर दर्ज किया जाना है।	4 (कुल 340 प्रकरणों में से 4 प्रकरणों में इन्द्राज शेष)		
2.	20 वर्ष से अधिक लम्बित प्रकरण	9		
3.	निर्णीत प्रकरणों (विरूद्ध) में पालना से शेष प्रकरण।	390		
4.	निर्णीत प्रकरणों के निर्णय की पालना से शेष प्रकरण।	203		
5.	निर्णीत प्रकरणों में अपील करने से शेष प्रकरण।	68		

82/DLR
DLR 12/1/18
ADCE

कृ.प.उ.